



S Chand And Company Limited

Registered Office: A-27, 2nd Floor, Mohan Co-Operative Industrial Estate, New Delhi - 110044, India.

P: +91 11 4973 1800 | F: +91 11 4973 1801 | E: info@schandgroup.com | www.schandgroup.com

Date: June 17, 2020

To Listing Department BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai, Maharashtra 400001	To Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, Maharashtra 400051
---	---

Dear Sir,

Re: Intimation under Regulation 30 of The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”)

Pursuant to the provisions of Regulations 30 of the Listing Regulations, please find attached the copies of the advertisement published in Business Standard English and Business Standard Hindi newspapers on 17.06.2020 with respect to the dispatch of notice of shareholders, secured and unsecured creditors meetings through video conferencing in connection with the Composite Scheme of Arrangement amongst Blackie & Son (Calcutta) Private Limited, Nirja Publishers & Printers Private Limited, DS Digital Private Limited, Safari Digital Education Initiatives Private Limited and S Chand And Company Limited.

Request you to kindly take note of the above.

Thanking You.

Yours sincerely,

For S Chand And Company Limited

Jagdeep Singh
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No.: A15028
Address: A-27, 2nd Floor
Mohan Co-operative Industrial Estate
New Delhi- 110044

Encl: as above

LCRD Division/New Delhi The Federal Towers Upper Ground floor, 2/2, West Patel Nagar New Delhi-110008

FEDERAL BANK Your Perfect Banking Partner Regd. Office: Always, Kerala SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE ASSETS

POSSession NOTICE (For Immovable Properties) (As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

SHIRAM City FINANCE LIMITED Registered Office: Office No.123, Angappa Naicken Street, Chennai - 600 001

All that piece and parcel of Plot measuring 200 sq yards together with all buildings existing with improvements thereon or to be constructed at No.3/3, East Patel Nagar, New Delhi bounded on the North by Road, East by Plot No.3/4, South by Service Road and West by Plot No.3/2.

The property will be sold by e-auction through the Bank's approved service provider M/s 4 Closure under the supervision of the Authorised Officer of Federal Bank.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Shriram City Union Finance Ltd.

Whereas, the undersigned being the authorised officer of Shriram City Union Finance Limited (SCUFL) under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (said Act) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (said Rules) issued demand notices to the Borrowers details of which are mentioned in the table below to repay the amount mentioned in the said demand notices.

Table with 3 columns: Borrower Name, Demand Notice, Description of Property. Includes M/s. Krishan International, M/s. Krishan Lal, and M/s. Darshna Swami.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Place: New Delhi. Date: 17.06.2020. Authorised Officer Shriram City Union Finance Limited

SARB-II, 18/4 SBI House, 4th Floor, Anya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 (Camp Office, Agra)

[Rule 8 (1)] POSSESSION NOTICE

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of State Bank of India, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Security Interest Act 2002 in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notice calling upon the borrower(s)/guarantor(s) mentioned in the schedule below to repay the amount mentioned in the demand notice within 60 days from the date of receipt of the said notices.

Table with 3 columns: Name of Borrower/Mortgagor/Guarantor & Add., Demand Notice, Amount Due (₹), Description of Properties. Includes M/s Eureka Plumblings, M/s. Rishi Rajul Malik, and M/s. Rishi Rajul Malik.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Place: Agra Date: 18-06-2020 Authorised Officer, State Bank of India

CORRIGENDUM

E-Auction Notice for Sale of Immovable properties With reference to our "E-Auction Sale Notice published on Dt. 16.06.2020 in Business Standard (English) newspaper, Delhi Edt. to the Borrower St.No. 1 to 4 of Shastrji Nagar Branch & St. No. 5 to 6 of R.G. College Branch, the service provider name is wrongly published as auctions.magicbricks.com instead of ubi.auctiontiger.net. All other detail of the E-Auction as per terms & conditions will remain the same.

Date: 16.06.2020 Authorised Officer

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

TENDER NOTICE Airports Authority of India, Prayagraj invites e-tender for the following works:

- 1. Exclusive Advertisement Rights for 1600 Sq.ft. Space at Prayagraj Airport, Prayagraj (Tender ID No. 2020_AA_50678.1) with MRL of Rs. 406/- per sq.ft. per month for a period of 05 year with last date and time of submission is 08.07.2020 upto 1500 hours.

For detailed information please log on to CPP Portal tender.gov.in or website www.aai.aero

POSSession NOTICE (for Immovable property) Rule 8-(1)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorized Officer of the company to the borrowers / co-borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

Table with 4 columns: Name of the Borrower(s), Description of Secured Asset (Immovable Property), Total Outstanding Dues (Rs.), Date of Demand Notice, Date of Possession.

Mr. Hariyam Khoshran and Mr. Jiremlal Hial (Prospect No. 868185)

Mr. Krishna Pandey, Mrs. Anita Pandey, Sri Balaji Sales (Prospect No. IL10033871)

For further details please contact to Authorised Officer at Branch Office- Sector 15 G, Srf No 51, Faridabad, Haryana 121007 or Branch Office- Sector No. 1, First Floor, Mahalakmi Metro Tower, Plot No. -C-1, Sector-4, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201010 or Corporate Office - Plot No. 98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana.

Place: Faridabad & Ghaziabad Date: 17-06-2020 Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Limited (IIFL HFL)

Business Standard CAMPUS TALK BS PROMOTIONS

I.T.S MOHAN NAGAR HOSTS THE CRICKET STALWARTS

I.T.S - The Education Group, always believes in developing and grooming the students in all spheres. Shri Arpit Chadha, Vice Chairman I.T.S - The Education Group, has always been thoughtful for the overall insightful learning of our students and firmly believes that interaction with such eminent personalities will have a sustainable impact on the upbringing of students Adhering to this philosophy, I.T.S Mohan Nagar in the series of 'Cricket Diaries', hosted three stalwarts - Mr Madan Lal (Member of Indian Team of World Cup 1983), Mr Piyush Chawla and Mr R. P. Singh of Indian cricket team live on Instagram.

These live sessions on Instagram were viewed by 650+ followers and were highly interactive, where our young cricket enthusiast students eagerly interacted with these 'Cricket Celebrities'. In-numerous questions were asked covering inquiries from their favourite food, their team co-ordination, strategies with other teammates, also on the much-hyped 'Dressing Room' plans and their most exciting memories of the matches

played at National and International level. Conversations were very open-hearted, motivational and students thoroughly co-related every bit of these live sessions vis-a-vis their learning on each and every aspect. At the end of them advised the audience: "Once God has blessed you with talent, go all out to make the most of it. Refine your skills, work harder, stay focused and be patient."



APM INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: SP-147 RIICO Industrial Area, Bhiwadi, Dist. Alwar (Rajasthan) - 301 019 Telephone: 01493 - 265403, Fax: 01493 - 265413 E-mail: csapminindustriestd@gmail.com, Website: www.apmindustries.co.in CIN No. L21015RJ1973PLC015819

NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS

TRANSFER OF EQUITY SHARES TO THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) AUTHORITY Notice is hereby given pursuant to the provision of Section 124 (6) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules") as amended.

In terms of provisions of the Act and the IEPF Rules, all dividend which remains unpaid/unclaimed for a period of 7 consecutive years is required to be transferred by the Company to IEPF, established by the Central Government and all underlying shares in respect of which dividend remains unpaid/unclaimed for 7 consecutive years also needs to be transferred to Demat account of IEPF Authority along with such unpaid dividend.

The Company will send communication to all the concerned shareholders who have not claimed any dividend during last 7 years i.e. from financial year 2012-13 onwards at the latest available address, advising them to claim dividend before the due date i.e. August 20, 2020.

In case the Company does not receive necessary documents required for claiming unpaid dividend from the concerned shareholder before the due date i.e. August 20, 2020, the Company shall, in order to comply with the requirements of the Act and IEPF Rules, transfer the shares to the Demat Account of IEPF Authority after August 20, 2020, as per the procedure set out in the IEPF Rules without any further notice to the shareholders. The shareholders may note that once the dividend and their corresponding shares are credited to the Demat Account of IEPF Authority, no claim shall lie against the Company in respect thereof pursuant to the Act and IEPF Rules.

The Company has also uploaded complete details of such shareholder(s) and shares due to be transferred to the IEPF Authority on its website www.apmindustries.co.in. Shareholders are requested to refer to company website www.apmindustries.co.in to verify the details of unclaimed dividends and the shares liable to be transferred to the IEPF Authority.

The concerned shareholder(s) holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority, may note that upon transfer of shares to IEPF Authority the original share certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. In case of shares held in Demat Form, to the extent of shares liable to be transferred shall stand debited from the shareholders account.

Shareholders may also note that both the unclaimed dividend and corresponding shares transferred to the IEPF Authority including all the benefits accruing on such shares, if any, can be claimed from the IEPF Authority by making an application in form IEPF-5 online at www.iepf.gov.in and sending the physical copy of the form along with the required supporting documents, specified in the said form IEPF 5 to the RTA for verification of your claims.

For any queries on the aforesaid subject the shareholders are requested to contact the Company or Company's Registrar and Share Transfer Agent with a request giving necessary details (i.e. Folio No., DP-ID & Client ID No. (if any), current address and contact numbers & details of Non-receipt of the Dividend Warrant etc.) at the earliest at the following addresses:-

Company: The Company Secretary, APM INDUSTRIES LIMITED, 910, Chiranjiv Tower-43, Nehru Place, New Delhi - 110019. Tel: (011)-26441018. E-mail: csapminindustriestd@gmail.com

Registrar & Share Transfer Agent: Skyline Financial Services Private Limited, D-153/A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi- 110 020. Email:parveen@skylinert.com; investors@skylineinert.com; Phone:011-40450193-96

For APM Industries Limited Sd/- Neha Jain Company Secretary

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI (ORIGINAL JURISDICTION) COMPANY APPLICATION NO. CA (CAA) 24 (PB) OF 2020 IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013 (18 OF 2013) SECTIONS 230, 232 & 66 AND IN THE MATTER OF SCHEME OF ARRANGEMENT AND IN THE MATTER OF HABITAT ROYALE LAND INVESTMENTS PVT LTD AND JAIN FLORE CULTURE LTD APPLICANT NO. 1/TRANSFEROR COMPANY AND APPLICANT NO. 2/TRANSFereeE COMPANY NOTICE CONVENING SEPARATE MEETINGS

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL NEW DELHI BENCH (BENCH-III), NEW DELHI (ORIGINAL JURISDICTION) COMPANY APPLICATION NO. CA (CAA) 12 (ND) OF 2020 IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013 (18 OF 2013) SECTIONS 230, 232 & 66 AND IN THE MATTER OF SCHEME OF ARRANGEMENT AND IN THE MATTER OF BLACKIE & SON (CALCUTTA) PVT LTD APPLICANT NO. 1/TRANSFEROR COMPANY NO. 1 NIRJA PUBLISHERS & PRINTERS PVT LTD APPLICANT NO. 2/TRANSFEROR COMPANY NO. 2 DS DIGITAL PVT LTD APPLICANT NO. 3/ DEMERGED COMPANY NO. 1 SAFARI DIGITAL EDUCATION INITIATIVES PVT LTD APPLICANT NO. 4/ DEMERGED COMPANY NO. 2 S CHAND AND COMPANY LTD APPLICANT NO. 5/TRANSFereeE COMPANY NO. 1 NOTICE CONVENING SEPARATE MEETINGS

Notice is hereby given that by the Order dated 29th May, 2020 (date of pronouncement), read with Order dated 10th February, 2020 (date of pronouncement), the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi has, inter alia, directed for convening of separate meetings of the Secured Creditors and Un-secured Creditors of Nirja Publishers & Printers Pvt Ltd, DS Digital Pvt Ltd; and meetings of Equity Shareholders, Secured Creditors and Un-secured Creditors of S Chand and Company Ltd, for the purpose of considering and, if thought fit, approving, with or without modifications, the proposed Composite Scheme of Arrangement amongst Blackie & Son (Calcutta) Pvt Ltd, Nirja Publishers & Printers Pvt Ltd, DS Digital Pvt Ltd, Safari Digital Education Initiatives Pvt Ltd and S Chand and Company Ltd, through video conferencing with remote e-voting facility.

In pursuance of the said order and as directed therein, further notice is hereby given that separate meetings of the following categories/classes of Stakeholders are scheduled to be convened through Video Conferencing under the supervision of the Hon'ble National Company Law Tribunal, for the purpose of considering and, if thought fit, approving, with or without modifications, the proposed Scheme of Arrangement and other connected matters, if any, as per the following schedule:

Table with 2 columns: Meetings of, Time. Includes Secured Creditors of Nirja Publishers & Printers Pvt Ltd (2.00 P.M.), Secured Creditors of DS Digital Pvt Ltd (3.00 P.M.), Secured Creditors of S Chand and Company Ltd (4.00 P.M.)

Table with 2 columns: Meetings of, Time. Includes Shareholders of S Chand and Company Ltd (11.00 A.M.), Un-secured Creditors of Nirja Publishers & Printers Pvt Ltd (2.00 P.M.), Un-secured Creditors of DS Digital Pvt Ltd (3.00 P.M.), Un-secured Creditors of S Chand and Company Ltd (4.00 P.M.)

All the shareholders, secured and unsecured creditors ("creditors") are informed that: 1. Electronic copies of the Notice of convening the aforesaid meetings alongwith the Explanatory Statement containing Composite Scheme of Arrangement and other annexures (under sections 230, 232 & 66 of The Companies Act, 2013 and The Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016, and other applicable provisions, if any), have been sent to all the shareholders and creditors whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) of the Company. These documents are also available on the website of the Company at www.schandgroup.com on the website of DS Digital Pvt Ltd at www.dsdigital.in, on the website of Link Intime India Private Limited ("RTA") at https://instavote.linkintime.co.in and on the website of the Stock Exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com. The dispatch of notice has been completed on June 16, 2020;

2. The shareholders who have not registered their email addresses with the Transferee Company No. 1 can get them registered by way of sending the request to the Transferee Company No. 1 at investors@schandgroup.com or contacting at 011-49731800 and to the RTA at instameet@linkintime.co.in;

3. The creditors who have not registered their email addresses with the Transferee Company No. 1, Transferor Company No. 2 and Demerged Company No. 1 can get them registered by way of sending the request to the Transferee Company No. 1 at investors@schandgroup.com or contacting at 011-49731800;

4. Shareholders holding shares as on the cut-off date June 12, 2020, may cast their vote electronically on the proposed Composite Scheme of Arrangement through electronic voting platform of Link Intime India Private Limited;

5. Creditors whose names appear in the records of the respective Companies as on September 30, 2019, may cast their vote electronically on the proposed Composite Scheme of Arrangement through electronic voting platform of Link Intime India Private Limited;

6. The remote e-voting for the secured creditors shall commence on June 17, 2020 (9:00 a.m. IST) and shall end on July 16, 2020 (5:00 P.M. IST);

7. The remote e-voting for the shareholders and unsecured creditors shall commence on June 18, 2020 (9:00 a.m. IST) and shall end on July 17, 2020 (5:00 P.M. IST);

8. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder and creditor, the shareholder and creditor will not be allowed to change it subsequently;

9. In case the shareholders and creditors have any queries or issues regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or Call us :- Tel : 022-49186000. The shareholders and creditors may also write to the Company Secretary of the Company at investors@schandgroup.com;

10. The Hon'ble Tribunal has appointed Mr. Farhan Khan, Advocate, as the Chairperson; Mr. JS Rana, Advocate, as the Alternate Chairperson and Ms. Shalija Singh, Advocate, as the Scrutinizer of the aforesaid meeting.

The proposed Scheme of Arrangement, if approved in the respective meetings and by the Public Shareholders of the Transferee Company No. 1 through postal ballot and e-voting, will be subject to the subsequent approval of the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench, New Delhi.

Place: New Delhi Date: June 16, 2020 Sd/- Farhan Khan, Advocate Common Chairperson of the meetings

Through Sd/- Rajeev K Goel, Advocate For Rajeev Goel & Associates Counsel for the Applicants 785, Pocket-E, Mayur Vihar II Delhi 110 091 Mobile: 9312409354, e-mail: rajeev391@gmail.com, Web-site: www.rgalegal.in

वायदा में छोटे निवेशकों की रुचि

कुछ विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा दिलचस्पी अस्थायी हो सकती है

और बाद में छोटे निवेशकों की दिलचस्पी घट सकती है

जश कृपलानी
मुंबई, 16 जून

छोटे निवेशक वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) सेगमेंट में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अप्रैल में ऐसी गतिविधि का योगदान बढ़कर 41 प्रतिशत हो गया, जो पिछले 12 महीने के 38 प्रतिशत के औसत से ज्यादा है।


बाजार कारोबारियों का कहना है कि बाजार में उतार-चढ़ाव की वजह से निवेशक इसका लाभ उठाने पर ध्यान दे रहे हैं।

सेमको सिक्वोरिटीज के मुख्य कार्यार्धकारी जिमात मोदी ने कहा, ‘उतार-चढ़ाव बढ़ने से कारोबारियों को सपाट बाजार के मुकाबले ज्यादा अवसर मिलते हैं। बाजार में खुदरा ग्राहकों की दिलचस्पी सालाना आधार पर दोगुनी से ज्यादा बढ़ी है।’

बाजारों के उतार-चढ़ाव का मापक इंडिया वीआईएक्स इस साल अब तक मार्च में आठ गुना बढ़कर 83.61 की ऊंचाई को छू चुका है।

हालांकि बाजार कारोबारियों का कहना है कि एफएंडओ के लिए ज्यादा निवेश छोटे कारोबारियों के लिए जोखिम वाला हो सकता है, क्योंकि प्रतिकूल हालात में आने वाले बड़े उतार-चढ़ाव से उनकी पूंजी को नुकसान पहुंच सकता है।

मंगलवार को निफ्टी (जिसका एफएंडओ में बड़ा कारोबार होता है) भारत-चीन सीमा पर झड़प की



खबरों से पहले दो प्रतिशत से ज्यादा की तेजी के साथ खुला और इसके बाद यह सूचकांक गिरावट की चपेट में आ गया था। हालांकि बाद में सुथरकर 1 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ।

एक ब्रोकिंग फर्म के डीलर ने कहा, ‘पुट ऑप्शन के साथ पोजीशन बनाने वाले निवेशकों को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा।’

उदाहरण के लिए, निफ्टी के 9,900 के स्ट्राइक प्राइस वाले पुट ऑप्शन ने 246 का दिन का ऊंचा स्तर छुआ जिसके बाद उसमें इन स्तरों से 54 प्रतिशत की गिरावट आई। उन्होंने कहा, ‘इस तरह की कारोबारी रणनीतियों से पुट के लिए बड़े पोजीशन लेने वाले निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।’ ब्रोकरों का कहना है कि रिटेल निवेशकों को तभी एफएंडओ सेगमेंट में पैसा लगाना चाहिए जब वे नुकसान को सहन कर सकते हों।

हालांकि बाजार कारोबारियों का कहना है कि निवेशकों को पूंजी की सुरक्षा के लिए बड़े निवेश को लेकर सजग रहने की जरूरत होगी

एक ब्रोकरेज फर्म के प्रमुख ने कहा, ‘निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो का 5-10 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा एफएंडओ में नहीं लगाना चाहिए।’ विश्लेषकों का कहना है कि बाजार नियामक सेबी द्वारा मार्च के अंत में एफएंडओ सेगमेंट में संस्थागत निवेशकों के लिए तय की गई सीमा का भी एफएंडओ बिक्री में छोटे निवेशकों के ऊंचे अनुपात में योगदान हो सकता है।

शेर्-सेलिंग को नियंत्रित करने, कुछ खास शर्तों के तहत एफएंडओ सेगमेंट में लॉग पोजीशन की अनुमति के लिए सेबी ने 23 मार्च

से संस्थागत निवेशकों पर कुछ खास सीमाएं थोप दी थीं।

हालांकि कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यह अस्थायी तेजी हो सकती है और बाद में छोटे निवेशकों की दिलचस्पी घट सकती है।

एचडीएफसी सिक्वोरिटीज में रिटेल रिसर्च के प्रमुख दीपक जसानी ने कहा, ‘लॉकडाउन के दौरान, हमने बाजार में कारोबारियों की दिलचस्पी में इजाफा देखा है। जो कर्मचारी अपने घरों में रहना पसंद कर रहे हैं उन्होंने बाजार में दैनिक उतार-चढ़ाव का लाभ उठाने के लिए अल्पावधि पर दांव लगाए हैं।’

उन्होंने कहा, ‘ज्यादा जोखिम लेने वाले कारोबारी एफएंडओ में कारोबार कर रहे हैं। हालांकि इस अस्थायी परिवेश में कुछ ही कारोबारी पैसा कमाने में सफल रहेंगे, क्योंकि अनुशासन और पूंजी प्रबंधन सिद्धांतों को सही तरह से समझने में समय लगता है।’

रिलायंस पर विदेशी ब्रोकरेज का तेजी का नजरिया

निकिता वशिष्ठ

नई दिल्ली, 16 जून

रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर मंगलवार को बीएसई पर दो फीसदी चढ़कर 1,647.85 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई को छू गया।वित्त वर्ष 2020-21 में इस शेयर का प्रदर्शन एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स के मुकाबले बेहतर रहा है। एक ओर जहां इस अवधि में आरआईएल का शेयर 15 जून तक 46.5 फीसदी चढ़ा, वहीं सेंसेक्स में 13 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई। ऐस इक्विटी के आंकड़ों से यह जानकारी मिली। मार्च 2020 के हालिया निचले स्तर से तुलना करें तो शेयर में करीब 80 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

मुकेश अंबानी की फर्म की तरफ से अपनी सहायक में एक के बाद एक 10 विदेशी निवेश हासिल करने की क्षमता का भी हालिया तेजी पर असर पड़ा है। जियो प्लेटफॉर्म ने 13 जून तक 1.04 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह रकम अग्रणी वैश्विक निवेशकों फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, केकेआर, मुबाडला, एडीआईएफ, टीपीजी और एल कैटरन जुटाई गई।

शेयर कीमतों में तेजी शायद अभी बनी रह सकती है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक, कई चीजें मसलन परिसंपत्ति बिक्री, ऊर्जा क्षेत्र के नकदी प्रवाह में तेजी, ओमीी चैनल रिटेल में इजाफा और दूरसंचार में औसत राजस्व प्रति ग्राहक में इजाफा इस शेयर को और

एचसीएल ने श्रीलंका में शुरु किया परिचालन

एचसीएल टेक्नोलॉजिज ने श्रीलंका में अपना परिचालन शुरू करने की घोषणा की है। नोएडा-मुख्यालय वाली फर्म का लक्ष्य श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में अपने कार्यालय से परिचालन शुरू करने के पहले 18 महीनों के भीतर नए एवं अनुभवी पेशेवरों, दोनों के लिए 1,500 से अधिक नए स्थायीय रोजगार के अवसर पैदा करना है। एक्सचेंज को दिए दस्तावेजों के अनुसार, श्रीलंका में एचसीएल के व्यापार तथा विकास की रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा वैश्विक कार्यों के लिए यहां की स्थानीय क्षमता का उपयोग करना होगा। *बीएस*

SHRIRAM City MONEY WHEN YOU NEED IT MOST श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड		
पंजीकृत कार्यालय: कार्यालय नं. 123, अन्गप्पा नेवेन स्ट्रीट, चेन्नाई-600001 शाखा कार्यालय: एल व एल2, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली		
प्रतीकाल्मक कब्जा सूचना		
चूँकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण विनिर्माण व प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (उक्त नियमावली) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड (एससीयूएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी, मौजूदा अधिकारी ने उक्त मांग सूचनाओं में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए एनी तालिका में वर्णित विवरण अनुसार ऋणियों को मांग सूचनाएं जारी की थी। ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, एतद्वारा विशेष रूप से ऋणियों व सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अयोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर 10 जून, 2020 को प्रतीकाल्मक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को संपत्ति के साथ व्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया व्यवहार र उसपर ब्याज सहित यद्ये नीचे वर्णित अनुसार राशि के लिए श्रीराम सिटी यूनियन हाउसिंग फाइनेंस लि.के प्रभार का विषय होगा।		
ऋणी का नाम	मांग सूचना	संपत्ति का विवरण
1. नैसर्ग कृष्ण इंटरप्राइजेशनल	₹. 1,22,17,180 (रुप एक करोड़ बाइस लाख सत्तरह हजार एक सौ अस्सी केवल)	संपत्ति सं. 80 मार्ग गांव असलतपुर खार, चाणक्य पुरी, ब्लॉक बी, पार्ट 1, पंचा रोड, नई दिल्ली-110059 में खसरा नं. 15, 11 व 200 वर्ग गार्ड में से 100 वर्ग गार्ड।
2.श्री कृष्ण लाल		
3.सुश्री दर्शना स्वामी		
ऋणियों का ध्यान प्रतिभूति संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है। स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 17.06.2020	हस्ता./ – प्राधिकृत अधिकारी श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड	

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष नई दिल्ली बेंच (बेंच-III), नई दिल्ली (मूल न्यायाधिकार क्षेत्र)	
कंपनी आवेदन सं. २०२० का सीए (सीए)१२ (एनडी) कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ के १८) के मामले में धाराएं २३०, २३२ व ६६ तथा	
स्क्रीन ऑफ अर्रंजमेंट के मामले में तथा	
ब्लैकी एंड सन (कलकत्ता) प्रा. लि.	आवेदक सं. 1/ट्रांस्फरकर्ता कंपनी नं.1
नीरजा पब्लिशर्स एंड प्रिंटर्स प्रा.लि.	आवेदक सं. 2/ट्रांस्फरकर्ता कंपनी नं.2
डीएस डिजिटल प्रा. लि.	आवेदक सं. 3/डिनर्जड कंपनी नं.1
डीएस डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिवज प्रा.लि.	आवेदक सं. 4/डिनर्जड कंपनी नं.2
तथा	
एस चंद एंड कंपनी लि.	आवेदक सं. 5/ट्रांस्फरी कंपनी नं.1

के मामले में	
अलग बैचोंके आहत करने की सूचना	
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, दिनांक 29 मई, 2020 (घोषणा की तिथि) के आदेश, दिनांक 10 फरवरी, 2020 (घोषणा की तिथि) के आदेश के साथ बंधे, द्वारा माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली ने अन्य सहित निदेश दिया है कि नीरजा पब्लिशर्स एंड प्रिंटर्स प्रा. लि., डीएस डिजिटल प्रा.लि. के सिक्वॉर्ड क्रैडिटर्स तथा अन-सिक्वॉर्ड क्रैडिटर्स की बैठक, और एस चंद एंड कंपनी लि. के इंडिटी शेयरधारकों, सिक्वॉर्ड क्रैडिटर्स तथा अन-सिक्वॉर्ड क्रैडिटर्स की बैठक रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग-अलग आयोजित की जाएं. निम्नका प्रयोजन ब्लैकी एंड सन (कलकत्ता) प्रा. लि., नीरजा पब्लिशर्स एंड प्रिंटर्स प्रा.लि., डीएस डिजिटल प्रा. लि., सफारी डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिवज प्रा.लि. तथा एस चंद एंड कंपनी लि. के बीच प्रस्तावित कम्पोजिट स्क्रीम ऑफ अर्रंजमेंट पर विचार और, उचित पाए जाने पर संशोधन सहित या संशोधन सहित मंजूरी देना है।	
उक्त आदेश की अनुपालना में और उसमें निर्देशित अनुसार, एतदर्थ आगे यह भी सूचित किया जाता है कि, प्रस्तावित कम्पोजिट स्क्रीम ऑफ अर्रंजमेंट तथा अन्य संबंधित लेनदारों हो, उन पर विचार और, उचित पाए जाने पर संशोधन सहित या संशोधन सहित मंजूरी देने से प्रोत्साहित से माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के निरीक्षण के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्माकित अनुरूसी अनुसार हितधारकों की निम्नांकित श्रेणियों / वर्गों की अलग-अलग बैठके निर्धारित की गई हैं।	
शुक्रवार, १७ जुलाई, २०२०	
बैठकें	समय
नीरजा पब्लिशर्स एंड प्रिंटर्स प्रा. लि. के सिक्वॉर्ड क्रैडिटर्स की डीएस डिजिटल प्रा. लि. के सिक्वॉर्ड क्रैडिटर्स की एस चंद एंड कंपनी लि. के सिक्वॉर्ड क्रैडिटर्स की	दोपहर 2.00 बजे दोपहर 3.00 बजे शाम 4.00 बजे
• शनिवार, १८ जुलाई, २०२०	
बैठकें	समय
एस चंद एंड कंपनी लि. के शेयरधारकों की नीरजा पब्लिशर्स एंड प्रिंटर्स प्रा. लि. के अन-सिक्वॉर्ड क्रैडिटर्स की डीएस डिजिटल प्रा. लि. के अन-सिक्वॉर्ड क्रैडिटर्स की एस चंद एंड कंपनी लि. के अन-सिक्वॉर्ड क्रैडिटर्स की	सुबह 11.00 बजे दोपहर 2.00 बजे दोपहर 3.00 बजे शाम 4.00 बजे

- संशोधित बैचोंकी सूचना के साथही वही कम्पोजिट स्क्रीम ऑफ अर्रंजमेंट, एक्सचेंजरी स्ट्रेटेंजेंट (कंपनी अधिनियम, 2०13 की धारा 230, 232 व 66 तथा कम्नीज (कम्पोजीमंइजेंस, अर्रंजमेंट्स एंड अल्लेमेंशंस) एक्ट, 2016 एवं अन्य लागू प्राधान्यों, यहि हो, के अंतर्गत) तथा अन्य दस्तावेज, यहि हो, की प्रतियां सभी शेयरधारकों और लेनदारों को, जैसा भी मामला हो, भेज दी गई है। निम्नके ईमेल पते संबंधित कम्पनियों/डिगिऑजिटी पार्सिंसिपेंट(स) के पास पंजीकृत हैं: सूचना व अन्य दस्तावेज एस चंद एंड कंपनी लि. की वेबसाइट www.schandgroup.com पर, डीएस डिजिटल प्रा. लि. की वेबसाइट www.dsdigital.in पर, लिंक इनटाइम ईडिजा प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in तथा स्टॉक्स एक्सचेंजों की वेबसाइट्स www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं. सूचना का प्रेषण 16 जून, 2020 को पूरा हो चुका है।
- जिन शेयरधारकों ने ट्रांसफरकी कंपनी नं.1 के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, वह ट्रांसफरी कंपनी नं.1 के ईमेल पते. investors@schandgroup.com पर आग्रह करके या 011-49731800 पर तथा आरटीए से instameet@linkintime.co.in पर संपर्क करके पंजीकृत करा सकते हैं।
- जिन लेनदारों ने ट्रांसफरकी कंपनी नं.1, ट्रांस्फरकर्ता कंपनी नं.2 तथा डिमर्जड कंपनी नं. 1 के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, वह ट्रांसफरी कंपनी नं.1 के ईमेल पते: investors@schandgroup.com पर आग्रह करके या 011-49731800 पर संपर्क करके पंजीकृत करा सकते हैं।
- जिन शेयरधारकों ने कट-ऑफ तिथि 12 जून, 2020 को शेयर धारित कर रखें हैं, वह प्रस्तावित कम्पोजिट स्क्रीम ऑफ अर्रंजमेंट पर लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं।
- जिन लेनदारों के नाम 30 सितंबर, 2019 को संबंधित कम्पनियों/डिगिऑजिटी पार्सिंसिपेंट(स) के पास प्रस्तावित कम्पोजिट स्क्रीम ऑफ अर्रंजमेंट पर लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं।
- सिक्वॉर्ड लेनदारों के लिए रिमोट ई-वोटिंग 17 जून, 2020 (प्रात: 9 बजे भा.मा.स.) से शुरु होकर 16 जुलाई, 2020 (शाम 5 बजे भा.मा.स.) को समाप्त होगा।
- अन-सिक्वॉर्ड लेनदारों के लिए रिमोट ई-वोटिंग 18 जून, 2020 (प्रात: 9 बजे भा.मा.स.) से शुरु होकर 17 जुलाई, 2020 (शाम 5 बजे भा.मा.स.) को समाप्त होगी.
- एक बार संकल्प पर शेयरधारक और लेनदार द्वारा मतदान कर दिए जाने के बाद, शेयरधारक तथा लेनदार को बाद में परिवर्तन नहीं करनी दिया जाएगा.
- यदि शेयरधारकों तथा लेनदारों को ई-वोटिंग के बारे में कोई शंका या समस्या है तो https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध सहाय-जवाब (एफ एचयूए) और ईस्टाब्लिटेड ई-वोटिंग मेनुअल को हेल्प सेक्शन में पढ़ें या enotices@linkintime.co.in पर ईमेल करें या हमें 022 – 49186000 पर कॉल करें. शेयरधारक तथा लेनदार चाहें तो अपनी सचिव को investors@schandgroup.com पर भी लिख सकते हैं।
- माननीय ट्रिब्यूनल ने उपरोक्त बैठक के लिए अग्र्यक्ष के रूप में श्री पराजित एचए, एडवोकेट; वैकल्पिक अग्र्यक्ष के रूप में श्री जे एस राणा, एडवोकेट तथा स्कूटनाइजर के रूप में सुश्री शंभला सिंह, एडवोकेट को नियुक्त किया है।

संबंधित बैठकों में मंजूरी और डाक मतदान एवं ई-वोटिंग के माध्यम से ट्रांसरी कंपनी नं.1 के पब्लिक शेयरधारकों द्वारा मंजूरी किए जाने पर प्रस्तावित स्क्रीम ऑफ अर्रंजमेंट, बाद में माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली बेंच, नई दिल्ली की मंजूरी के अधीन रहेगा.

स्थान: नई दिल्ली	हस्ताक्षरित/– फरहान खान, एडवोकेट बैचोंकी के कॉर्पोर अग्र्यक्ष
दिनांक: जून 16, 2020	
	हस्ताक्षरित/– राजीव के गोयल, एडवोकेट
	राजीव गोयल एंड एसोशिएट्स के लिए आवेदकों के कार्रसेज 785, पॉकेट-३, मयूर विहार।। दिल्ली 110 091
	दिल्ली 110 091
	मोबाइल: 93124 09354
	ईमेल: rajeev391@gmail.com
	वेबसाइट: www.rgalegal.in

फ्रैंकलिन मामले पर चर्चा करेगा सेबी का निदेशक मंडल

श्रीमी चौधरी

नई दिल्ली, 16 जून

पूँजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा 25 जून को होने वाली अंतिम बोर्ड बैठक में फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्युचुअल फंड के निवेशकों को पैसा लौटाने और फंड हाउस के खिलाफ विशेष ऑडिट की स्थिति से संबंधित कानूनी मामलों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। इस मामले से जुड़े दो अधिकारियों ने बताया कि नियामक इस बैठक में बिकवाली दबाव महसूस कर रहे म्युचुअल फंडों की जानकारी और उनकी डेट योजनाओं की तरलता स्थिति के बारे में भी बोर्ड को अवगत करा सकता है। सेबी का आठ सदस्यीय बोर्ड कोरोनावायरस महामारी की वजह से पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक करेगा।

एक अधिकारी ने कहा, ‘प्रस्तावित बोर्ड बैठक से पहले, सेबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने म्युचुअल फंड तरलता, बिकवाली दबाव, और इनमें गिरावट रोकने के उपायों आदि पर विस्तार से चर्चा की है।’ बोर्ड को फ्रैंकलिन एमएफ से संबंधित ताजा घटनाक्रम और अदालती मामले (जिसमें सेबी को प्रतिक्रिया देने को कहा गया है) से भी अवगत कराया जाएगा। फंड हाउस के खिलाफ निवेशकों द्वारा कई अदालती मामले दर्ज कराए गए हैं और 6 डेट योजनाओं को बंदए किए जाने की पूरी प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।

एक संबंधित मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के सात निवेशकों द्वारा दायर कराई गई याचिका खारिज कर दी है।

एजेडे में क्या है शामिल

- फ्रैंकलिन मामले की स्थिति रिपोर्ट**
- भारी बिकवाली की वजह से एमएफ उद्योग पर तरलता का संकट**
- क्षेत्र, जो कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुए हैं और अब तक किए गए उपाय**
- वैश्विक सूचीबद्धता नियमों में बदलाव के लिए परामर्श की संभावित मंजूरी**

सेबी ने पिछले सप्ताह इस फंड हाउस के ऑडिटर चोकसी एंड चोकसी को मामले के कुछ खास पहलुओं की जांच का आदेश दिया था, जैसे निवेश का ऑप्चिव, फ्रैंकलिन एमएफ की योजनाओं और बैंन्ड जारीकर्ताओं की ऑडिटिंग के वक्त जोखिम प्रबंधन उपाय। नियामक का कहना है कि फंड हाउस द्वारा किए गए कुछ खास निवेश म्युचुअल फंड की आशर्स आचार संहिता के विपरीत थे। ऑडिट रिपोर्ट जुलाई के मध्य तक सौंपे जाने की संभावना है। फ्रैंकलिन टेम्पलटन के निर्णय से निवेशकों के बीच आशंका पैदा हुई है जिससे खासकर क्रैडिट योजनाओं में बिकवाली दबाव बढ़ा है।

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि इस तरह के घटनाक्रम के प्रबंधन के लिए आरबीआई द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा, ‘सेबी बिकवाली दबाव से पैदा हुए जोखिम को कम करने के लिए सेफगाई पर विचार कर रहा है।’

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली (मूल न्यायाधिकरण)	
कम्पनी आवेदन सं. 2020 का सीए सीए) 24 (बीबी) कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) धारा 230, 232 तथा 66 के मामले में तथा	
व्यवस्था की योजना के मामले में तथा	
हैडिटेड रॉयल एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा.लि.	आवेदक सं. 1/अनर्कल कम्पनी
जैन फ्लोकिंक्वर लिमिटेड के मामले में	
अलग से बैटक आयोजित करने की सूचना	आवेदक सं. 2/अनर्कली कम्पनी
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि दिनांक 5 जून, 2020 के आदेश (घोषणा की तिथि) के द्वारा माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली, ने अन्य बातों के साथ-साथ, हैडिटेड रॉयल एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा.लि. तथा जैन फ्लोकिंक्वर लिमिटेड के उद्देश्यों की प्रस्तावित योजना पर विचार करने तथा यहि उपर्युक्त मामलों को संबंधित सहित या सहित अनुमोदित करने के उद्देश्य से हैडिटेड रॉयल एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा.लि. तथा जैन फ्लोकिंक्वर के शेयरधारकों की अलग से बैटक आयोजित करने का निर्देश दिया है।	
कथित आदेश तथा उसमें निर्देशित के अनुसार एतद्वारा पुनः सूचना किया जाता है कि हैडिटेड रॉयल एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा.लि. तथा जैन फ्लोकिंक्वर लिमिटेड के शेयरधारकों की अलग से बैटक आयोजित करने के उद्देश्य से, 44, पीएमपुरा, दिल्ली-110034, ई-मेल : sunykhinda@gmail.com से अलग उनको विधिक कार्रसेज की राखीव के, गोयल, एडवोकेट, मैसर्स राखीव गोयल एण्ड एसोशिएट्स, एडवोकेट्स एच गोयल एंड एसोशिएट्स, 785, पॉकेट-ई, मयूर विहार-II, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे/एनएच-24, दिल्ली-110091, मोबाइल : 9312409354, ई-मेल : rajeev391@gmail.com; वेबसाइट : www.rgalegal.in से इस सूचना को विधि से बैटक की तिथि तक 11.00 बजे पूर्व, से 4.00 बजे अपर, तक किसी भी कार्यदिन में नियुक्त प्राप्त किया जा सकता है। बैटक में उपस्थित रहने तथा मतदान करने के साथ तिथिबद्ध कथित बैटक में व्यथितकर प्राप्त से प्रसिद्धि के माध्यम से उपस्थित रह सकते हैं और मतदान कर सकते हैं यद्यपि प्रारंभिक प्रसिद्धि कम्पनी के उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय पर निर्धारित रूप में सम्बद्ध बैटकों के निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व जमा कर दी गयी हो। प्रसिद्धि प्रेष कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।	
माननीय अधिकरण ने श्री बी.एस. आडवा, एडवोकेट को कॉर्पोरेशन के रूप में, श्री राहुल मलिक, एडवोकेट को कॉर्पोर वैकल्पिक चेयरमैन के रूप में तथा सुशी अडिति गुप्ता, कम्पनी सचिव को उपर्युक्त बैटकों के संकलन संबंधित के रूप में नियुक्त किया है।	
यदि सम्बद्ध बैटकों में व्यवस्था की उपर्युक्त योजना अनुमोदित हो जाती है तो माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के अनुमति अनुमोदन का विवरण होगी।	
दिनांक : 15 जून, 2020	
ह./ – बी.एस. आडवा, एडवोकेट बैटकों के कॉर्पोर चेयरमैन	ह./ – श्री राहुल के गोयल, एडवोकेट कृते राखीव गोयल एण्ड एसोशिएट्स आवेदक के प्रतिनिधित्व
माध्यम,	ह./ – राजीव के गोयल, एडवोकेट कृते राखीव गोयल एण्ड एसोशिएट्स आवेदक के प्रतिनिधित्व
	785, पॉकेट-ई, मयूर विहार-II, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे/एनएच-24, दिल्ली 110 091
	मोबाइल : 9312409354, ई-मेल : rajeev391@gmail.com; वेबसाइट : www.rgalegal.in

फंडों के मुकाबले पीएमएस में मजबूती

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 16 जून

डेटा एग्रिगेटर और ऑनलाइन पोर्टल पीएमएस बाजार द्वारा कराए गए एक अध्ययन से पता चला है कि ज्यादा संख्या में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (पीएमएस) ने एक, दो, तीन, पांच और 10 साल की अवधियों के दौरान म्युचुअल फंडों के मुकाबले अपने संबद्ध बेंचमार्कों को मात दी। अध्ययन में दोनों श्रेणियों के लिए विभिन्न अवधियों और सूचकांक के कुल प्रतिफल को शामिल किया गया है। पीएमएस के लिए, एक साल वाली 133 योजनाओं, तीन साल के लिए 81 योजनाओं, पांच साल के लिए 49 और 10 साल की अवधि के लिए 25 योजनाओं पर शुल्क-बाद प्रतिफल को शामिल किया गया है। म्युचुअल फंडों के प्रदर्शन का आंकड़ा मुहैया कराने वाले सौगठन एम्पकी के आंकड़े के आधार पर संबद्ध अवधि के लिए एमएफ के लिए, 401, 294, 253, और 201 योजनाओं को शामिल किया गया है।

10 साल की अवधि में पीएमएस योजनाओं का प्रदर्शन अच्छा			
10 साल की अवधि में पीएमएस योजनाओं का प्रदर्शन अच्छा			
1-वर्ष 3-वर्ष 5-वर्ष 10-वर्ष			
पीएमएस	एमएफ	पीएमएस	एमएफ
बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन		बेंचमार्क से खराब प्रदर्शन	
68.4	34.6	40.8	84.0
53.1	25.5	28.8	46.3
26.3	48.2	38.8	0
35.1	51.7	46.3	22.9

133 पीएमएस योजनाओं में से 91 या 68.4 फीसदी ने पिछले एक साल में अपने संबद्ध बेंचमार्क को मात दी। तुलनात्मक तौर पर, शामिल किए गए 401 म्युचुअल फंडों में से 53 ने अपने संबद्ध बेंचमार्क सूचकांकों को मात दी। यह उस अवधि में हुआ जब कई बेंचमार्क सूचकांकों में कोविड-19 महामारी की वजह से दो अंकों की गिरावट दर्ज की गई। करीब एक-तिहाई (35 फीसदी) पीएमएस योजनाओं ने तीन साल की अवधि में अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि एमएफ के मामले में